

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार, भा0प्र0से0  
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।


पटना-15, दिनांक- 25/8/16.

विषय-  
महाशय,

बाढ़ राहत शिविर में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए अनुदान के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान में राज्य में आयी बाढ़ के कारण आबादी के निष्क्रमण के दौरान गर्भवती महिलाओं को निष्क्रमित किये जाने के दौरान बच्चे का जन्म नाव अथवा बाढ़ राहत शिविर में होता है तो जन्म लेने वाले लड़की के लिए 15,000/- (पन्द्रह हजार) रूपये एवं लड़के के लिए 10,000/- (दस हजार) रूपये का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाना है।

अतएव अनुरोध है कि तदनुसार राशि का भुगतान किया जाय एवं आवश्यक राशि की अधियाचना सीधे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय से करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन  
  
(अनिरुद्ध कुमार)  
संयुक्त सचिव